

# महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

कमांक/अकादमिक/शोध/2023/5099

छतरपुर दिनांक 21-09-23

प्रति

श्रीला

पत्नी श्री जयप्रकाश अहिरवार,

वार्ड नं. 3, विश्वनाथ कालोनी

जिला- छतरपुर (म.प्र.)- 471001

विषय:- इतिहास में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 21.09.2023

इतिहास शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 02.06.2023 के निर्णयानुसार सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत आपका पंजीयन निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की तिथि अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 15.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध कार्य की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

1. आपका पंजीयन कमांक/शोध/ Ph.D./SS220310 है।
2. आपका नामांकन कमांक/Ph.D./ 202015B0056 है।
3. आपके शोध विषय का शीर्षक ' बुन्देलखण्ड के लोक गायन में प्रतिबिंबित इतिहास ' स्वीकृत किया जाता है।
4. शोध निर्देशक- डॉ. नवीन गिडियन, प्राध्यापक, इतिहास विभाग, शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महा., सागर मान्य किये जाते हैं।
5. पंजीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - इतिहास विभाग, शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महा., सागर रहेगा।
6. विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कण्डिका-20 के अंतर्गत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
7. आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए! पत्र में विषय एवं पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।
8. अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पुनः-पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
9. महिला एवं विकलांग शोधार्थियों ( जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश (240 दिवस) की पात्रता होगी।
10. नवीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फाइल में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. शोध निर्देशक- डॉ. नवीन गिडियन, प्राध्यापक, इतिहास विभाग, शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महा., सागर की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा करें।
2. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, इतिहास विभाग, शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी श्रीला के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखने की कृपा करें।

शोध निर्देशक, इतिहास विभाग,  
शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महा., सागर  
दिनांक 21-09-23

सहायक कुलपति (अकादमिक)  
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय  
छतरपुर (म.प्र.)



# महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०)

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन) कार्यालय फोन: 07682-244442,

फैक्स : 07682-244442

E-mail - mchhatrasaluniversity@gmail.com

कमांक / पी-एच.डी. / 3645 / 2023

छतरपुर दिनांक... 19/10/2023

## अधिसूचना

विश्वविद्यालय द्वारा शोध हेतु अंगीकृत अध्यादेश क्र. 11 की कंडिका 9(b) तथा 10 के प्रावधानों के तहत विषय रसायनशास्त्र की शोध सलाहकार समिति (Research Advisory Committee) ने निम्न शोधार्थियों को तालिका अनुसार निर्देशक/सहनिर्देशक तथा शोध केन्द्र अनुशासित किए हैं। जो उन्हें आवंटित किए जाते हैं।

विषय-रसायनशास्त्र

संकाय- विज्ञान संकाय

S No.	Roll No.	Name	Category	Research Supervisor / Co-Supervisor	Research center
1		VINOD KUMAR SAHU	OBC	डॉ. आनंद कुमार पाण्डेय, सहा. प्राध्यापक	यू.टी.डी. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर
2	20230075	CHINMAY SEN	OBC	डॉ. आनंद कुमार पाण्डेय, सहा. प्राध्यापक	यू.टी.डी. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर
3	20230089	NANDKISHOR LODHI	OBC	डॉ. संतोष नारायण चढ़ार, सहा. प्राध्यापक	शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर
4	20230078	DESHRAJ SINGH THAKUR	OBC	डॉ. संतोष नारायण चढ़ार, सहा. प्राध्यापक	शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर
5	20230073	BRAJESH KUMAR DOHRE	SC	डॉ. मनोरमा गुप्ता, सह. प्राध्यापक	शासकीय छत्रसाल पी.जी. महाविद्यालय, पन्ना
6	20230077	DEEPI KHEWARIYA DIXIT	GEN	डॉ. राजेश कुमार सैनी, सहा. प्राध्यापक	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, टीकमगढ़
7	20230090	NEERAJ BALAH	SC	डॉ. शुचिता अग्रवाल, सहा. प्राध्यापक	ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, दमोह
8	20230068	ANAMIKA SINGH	GEN	डॉ. मुकेश कुमार अहिरवार, सहा. प्राध्यापक	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, टीकमगढ़
9		ASHISH RAIKWAR	OBC	डॉ. संतोष नारायण चढ़ार, सहा. प्राध्यापक	शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर
10	20230072	BHOJRAJ JHARBADE	SC	डॉ. संतोष नारायण चढ़ार, सहा. प्राध्यापक	शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर
11	20230099	PRIYANKA RAIKWAR	OBC	डॉ. मनोरमा गुप्ता, सह. प्राध्यापक	शासकीय छत्रसाल पी.जी. महाविद्यालय, पन्ना
12	20230102	RAJNI ROY	GEN	डॉ. मुकेश कुमार अहिरवार, सहा. प्राध्यापक	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, टीकमगढ़
13	20230097	PRIYA NAGWANSHI	SC	डॉ. मुकेश कुमार अहिरवार, सहा. प्राध्यापक	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, टीकमगढ़
14	20230081	DURGA AHIRWAL	SC	डॉ. शुचिता अग्रवाल, सहा. प्राध्यापक	ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, दमोह

संकायाध्यक्ष

पृ.कमांक / पी-एच.डी. / 3646 / 2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निज सचिव के माध्यम से कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
2. निर्देशक, शोध एवं विकास म.छ.बु.वि.वि., छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. संबंधीजन की ओर सूचनार्थ।
5. आई.टी. प्रकोष्ठ प्रभारी की ओर वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. सूचना पटल पर चरपा करने हेतु।
7. मूल नस्ती।

संकायाध्यक्ष

कुलसचिव  
छतरपुर दिनांक 19/10/2023  
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय  
छतरपुर (म.प्र.)

सहायक कुलसचिव  
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय  
छतरपुर (म.प्र.)

# महाराजा छत्रसालबुदेलखण्ड विश्वावेद्यालय, छतरपुर (म0प्र0)

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन) कार्यालय फोन : 07682-244442.

फैक्स : 07682-244442

E-mail – mchhatrasaluniversity@gmail.com

आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

कमाक / पी-एच.डी. / 2023

छतरपुर दिनांक.....19.07.2023

## अधिसूचना

विज्ञान संकायान्तर्गत रसायनशास्त्र विषय की शोध परामर्श समिति (RAC) द्वारा शोध प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 11/07/2023 को लिये गये। म.प्र. शासन के आरक्षण नियमों का पालन करते हुए सफल एवं प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों की सूची निम्नानुसार जारी की जाती है। सफल अभ्यर्थी दिनांक ..... 2.07.2023 तक ऑनलाइन लिंक <https://mcbu.mponline.gov.in/portal/Services/MCBU/Dashboard.aspx> के माध्यम से कोर्स वर्क राशि पच्चीस सौ रुपये (2500/-) तथा पांच सौ रुपये (500/-) शोध आवेदन शुल्क कुल तीन हजार रुपये (3000/-) अनिवार्यतः जमा करें अन्यथा की स्थिति में उनका प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

## मुख्य सूची

क.	रोल नं.	नाम	संवर्ग	प्राप्तांक / 100
1		VINOD KUMAR SAHU	OBC	74.33 (Provisional)
2	20230075	CHINMAY SEN	OBC	71.33
3	20230089	NANDKISHOR LODHI	OBC	70.33
4	20230078	DESHRAJ SINGH THAKUR	OBC	69
5	20230073	BRAJESH KUMAR DOHRE	SC	69
6	20230077	DEEPTI KHEWARIYA DIXIT	GEN	68.33
7	20230090	NEERAJ BALAHI	SC	68.33
8	20230068	ANAMIKA SINGH	GEN	68.33 (Provisional)
9		ASHISH RAIKWAR	OBC	67.66
10	20230072	BHOJRAJ JHARBADE	SC	67
11	20230099	PRIYANKA RAIKWAR	OBC	64.66
12	20230102	RAJNI ROY	GEN	64.66
13	20230097	PRIYA NAGWANSHI	SC	63.33
14	20230081	DURGA AHIRWAL	SC	60.6
15	20230070	ARUN KUMAR SAKET	SC	31 (Fail)
16	20230100	RAJARAM AHIRWAR	SC	26.6 (Fail)

## प्रतीक्षा सूची

क.	रोल नं.	नाम	संवर्ग	प्राप्तांक / 100
		निरंक		

## अनुपस्थित एवं अपात्र सूची

क.	रोल नं.	नाम	संवर्ग	प्राप्तांक / 100
1	20230114	SUPRIYA JAIN	EWS	ABSENT
2		RAM DHARI PANDEY	GEN	ABSENT

हस्ताक्षर Research Advisory Committee

- Chairperson/Dean Name..... Dr. A-K Sengupta..... Signature.....
- Member Name..... Dr. Archana Jais..... Signature.....
- Member Name..... Dr. Anand Kumar Pandey..... Signature.....
- Member Name..... Signature.....

# महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

क्रमांक/अकादमिक/शोध/2023/4447

छतरपुर दिनांक 5/9/2023

प्रति

सुप्रिया यादव

आत्मजा श्री राकेश यादव,

सिया इनाम बाड़ा, परकोटा बाई

जिला-सागर (म.प्र.) - 470002

विषय:- वाणिज्य में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 15.08.2023

वाणिज्य शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.05.2023 के निर्णयानुसार वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आपका पंजीयन निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की तिथि अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 16.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध कार्य की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

आपका पंजीयन क्रमांक/शोध/ Ph.D./CO220137 है।

आपका नामांकन क्रमांक/Ph.D./ 22U003P0010 है।

आपके शोध विषय का शीर्षक - भारत में पर्यावरण लेखांकन की वर्तमान स्थिति एवं उपादेयता का मूल्यांकन स्वीकृत किया जाता है।

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर मान्य किये जाते हैं।

पंजीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर रहेगा।

विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश-11 की कण्डिका-20 के अंतर्गत छ: माह के अंतराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अत्यंत आवश्यक करें।

अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औपचारिक सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पुनः-पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

महिला एवं विकलांग शोधार्थियों ( जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/शाल देखभाल अवकाश (240 दिवस) की पात्रता होगी।

नवीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छ: प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फाइल में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

निलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर अग्रगण्य कर निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा करें।

विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी सुप्रिया यादव के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारीयें संकलित रखने की कृपा करें।

शोध निर्देशक-  
डॉ. आनंद तिवारी

विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

दिनांक 5/9/2023

सहसंचालक

विश्वविद्यालय, छतरपुर

दिनांक 5/9/2023

सहसंचालक

विश्वविद्यालय, छतरपुर

# महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

छतरपुर दिनांक 5/9/2023

कमांक/अकादमिक/शोध/2023/4452

प्रति

अमित रैकवार

आत्मज श्री गंगाराम,

20/135, पाडे गली, शास्त्री वार्ड, टीसीपीसी के पीछे

सागर (म.प्र.) - 470002

विषय - वाणिज्य में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

दिनांक - आपका आवेदन दिनांक 19.08.2023

वाणिज्य शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.05.2023 के निर्णयानुसार वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आपका पंजीयन निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कंडिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की तिथि अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 18.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध कार्य की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

आपका पंजीयन कमांक/शोध/ Ph.D./CO220103 है।

आपका नामांकन कमांक/Ph.D./ 22U003P0019 है।

आपके शोध विषय का शीर्षक - " सागर जिले के सूक्ष्म, लघु एवम् मध्यम उद्योगों के कार्यवातावरण का

कर्मचारी कार्यक्षमता एवम् उत्पादकता पर प्रभाव " स्वीकृत किया जाता है।

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर मान्य किये जाते हैं।

पंजीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर रहेगा।

विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कंडिका-20 के अंतर्गत छ. माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

अध्यादेश-11 की कंडिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पुनः-पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

महिला एवं विकलांग शोधार्थियों ( जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश (240 दिवस) की पात्रता होगी।

नवीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कंडिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism सबधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फाइल में) सलग्न करना आवश्यक होगा।

तैलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा करें।

विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी अमित रैकवार के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखने की कृपा करें।

शोध प्रमुख प्रेमारी  
निदेशक, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय  
छतरपुर (म.प्र.)

सहायक कुलपति (अकादमिक)

# महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

कमांक/अकादमिक/शोध/2023/4933

छतरपुर दिनांक 18-09-23

प्रति

अंकिता दांगी ठाकुर

आत्मजा श्री रघुवीर सिंह ठाकुर,

नंदकिशोर होटल के पास, दुबे इमारत, संतोष किराना के उपर, शानेचरी

जिला- सागर (म.प्र.)- 470002

विषय:- इतिहास में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 14.09.2023

इतिहास शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 02.06.2023 के निर्णयानुसार सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत आपका पंजीयन निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की तिथि अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 17.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध कार्य की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

1. आपका पंजीयन कमांक/शोध/ Ph.D./SS220303 है।
2. आपका नामांकन कमांक/Ph.D./ 22U002P0014 है।
3. आपके शोध विषय का शीर्षक " स्वतंत्रता आंदोलन में सागर क्षेत्र की महिलाओं की भूमिका (1900 ई. से 1961 ई. तक) " स्वीकृत किया जाता है।
4. शोध निर्देशक- डॉ. नवीन गिडियन, प्राध्यापक, इतिहास विभाग, शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महा., सागर मान्य किये जाते हैं।
5. पंजीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - इतिहास विभाग, शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महा., सागर रहेगा।
6. विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कण्डिका-20 के अंतर्गत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
7. आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।
8. अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पुनः-पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
9. महिला एवं विकलांग शोधार्थियों ( जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश (240 दिवस) की पात्रता होगी।
10. नवीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फाइल में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. शोध निर्देशक- डॉ. नवीन गिडियन, प्राध्यापक, इतिहास विभाग, शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महा., सागर की ओर अप्रेषित कर निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा करें।
2. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, इतिहास विभाग, शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी अंकिता दांगी ठाकुर के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखने की कृपा करें।

शोध निर्देशक, शोध एवं विकास  
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड  
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड  
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

# महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

फोन नं. - 07682-244442  
ईमेल - mchhatrasaluniversity@gmail.com



परीक्षा नियंत्रक


क्रमांक / 2489 / परीक्षा / गोप. / 2023

छतरपुर, दिनांक 12.06.2023

## अधिसूचना

विश्वविद्यालय की सूचना क्रमांक 1576/2023, दिनांक 08-04-2023 के अनुसार 17 विषयों की शोध प्रवेश परीक्षा 2023-24 दिनांक 11-06-2023 को सम्पन्न हुई जिसका परीक्षा परिणाम आज दिनांक 12-06-2023 को कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत घोषित किया जाता है। समस्त छात्र/छात्रायें अपना परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट <http://mcbu.ac.in> के माध्यम से देख सकते हैं।

- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 1. Botany        | 11. Library Science   |
| 2. Chemistry     | 12. Mathematics       |
| 3. Commerce      | 13. Physics           |
| 4. Economics     | 14. Political Science |
| 5. English       | 15. Sanskrit          |
| 6. Geography     | 16. Sociology         |
| 7. Geology       | 17. Zoology           |
| 8. Hindi         |                       |
| 9. History       |                       |
| 10. Home Science |                       |

  
12.6.23


(डॉ. बहादुर सिंह परमार)

परीक्षा नियंत्रक  
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय  
छतरपुर, दिनांक 12.06.2023  
छतरपुर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / 2490 / गोप. /

### प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

1. महामहिम, कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. माननीय कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक।
4. उपकुलसचिव गोपनीय/प्रशासनिक, महाराजा छत्रसाल वि.वि.की ओर सूचनार्थ।
5. सम्पादक महोदय, स्थानीय सभी समाचार पत्रों की ओर भेजकर निवेदन है कि विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में छात्रों के हितार्थ प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. वेब प्रभारी की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
12.6.23  
सहायक कुलसचिव  
गोपनीय विभाग, बुन्देलखण्ड  
वि.वि. छतरपुर

# Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur

## Doctoral Entrance Test-2023

Result : D.E.T. 2023 - Exam held on 11-06-2023

### Subject - Zoology

S NO	RollNo	Name		Category	Obtained Marks
1	20230709	AARCHI SONI	RAJEEV SONI	OBC	28
2	20230710	AARTI SINGH	SOORAJ SINGH	GEN	45
3	20230711	ABHISHEK DAHERIYA	RAMKUMAR DAHERIYA	SC	41
4	20230713	ANAMIKA PATEL	DR R B PATEL	OBC	53
5	20230714	ANIKA YADAV	VIJAY KUMAR YADAV	OBC	60
6	20230715	ANJALI BHATNAGAR	ANIL	GEN	56
7	20230716	ANJANA CHOUDHARI	RAMDEV CHOUDHARI	SC	39
8	20230717	ANKITA CHATURVEDI	DINESH CHOUBEY	GEN	46
9	20230718	ANUBHA KOSHTI	YESWANT KOSHTI	OBC	46
10	20230720	BAL KRISHNA DAHAYAT	KAUSHAL PRASAD	SC	43
11	20230721	BEAUTI CHATURVEDI	ARVIND DEV	GEN	42
12	20230722	BHARAT SINGH LODHI	UMMED SINGH	OBC	40
13	20230723	BHUPENDRA KUMAR VERMA	BHAGWAN DEEN VERMA	SC	51
14	20230724	DEEKSHA KASHYAP	SEWANAND KASHYAP	OBC	38
15	20230725	DEEPAK KUMAR MANAV	GANGA PRASAD MANAV	SC	44
16	20230729	GANESH PATEL	CHUNNI LAL PATEL	OBC	44
17	20230731	HARISH KUMAR DUBEY	MOHAN LAL DUBEY	EWS	55
18	20230733	HIMANSHU MISHRA	SURESH KUMAR	GEN	45
19	20230734	JAGPRASAD AHIRWAR	CHUTUA	SC	50
20	20230736	JASHRATH AHIRWAR	RAMUAA AHIRWAR	SC	46
21	20230737	KANCHAN	CHAMPA LAL	SC	35
22	20230739	KASHI RAM	RANJEET	SC	60
23	20230740	KIRTI HARIYA	KAMAL	SC	41
24	20230741	MANISHA SONEKAR	K L SONEKAR	OBC	23
25	20230742	MOTI LAL AHIRWAR	RAMADEEN AHIRWAR	SC	53
26	20230743	POOJA DEVI YADAV	PADAM SINGH	OBC	34
27	20230744	POONAM PANIKA	RAJDHAR PANIKA	ST	43
28	20230745	POORNIMA	DHARAMDAS	GEN	45
29	20230746	PRAHLAD SINGH PARASTE	VISHRAM SINGH	ST	46
30	20230747	PRIYA DWIVEDI	KAUSHAL KISHOR DWIVEDI	GEN	51
31	20230748	PRIYANKA KHARE	RATAN LAL KHARE	EWS	38
32	20230750	PUSHPENDRA KUMAR SAKET	SHIVBAKAS SAKET	SC	45
33	20230751	RAJ KUMAR AHIRWAR	SUKH LAL	SC	46
34	20230752	RASHMI NAMDEV	RAHUL NAMDEV	OBC	51
35	20230753	ROSHNI SINGH	KALYAN SINGH	GEN	52
36	20230754	SAMEEKHSA NA	SATISH DHENKLA	EWS	35
37	20230755	SAMRA KHANAM	MOHD MATEEN KHAN	OBC	56
38	20230756	SANGHPRIYA SAGAR	DR TEERATH PRASAD SAGAR	SC	43
39	20230757	SANTOSH KUMAR YADAV	CHHOTELAL YADAV	OBC	44
40	20230758	SAVITA AHIRWAR	HARDASAHIRWAR	SC	43
41	20230760	SHAIENDRA KUMAR AHIRWAR	HEERALAL AHIRWAR	SC	34
42	20230761	SHIVANI CHATURVEDI	BRUKISHOR CHATURVEDI	GEN	63
43	20230762	SITARAM GOND	TEEKARAM GOND	ST	50
44	20230763	SOMYA MOURYA	RANJEET MOURYA	OBC	33

  
परीक्षा नियंत्रक

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय  
चतरपुर ( म.प्र. )

Exam Contr




**Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur**  
**Doctoral Entrance Test-2023**

**Result : D.E.T. 2023 - Exam held on 11-06-2023**

**Subject - Zoology**

S NO	RollNo	Name		Category	Obtained Marks
45	20230764	SONALI SHARMA	SURENDRA KUMAR SHARMA	GEN	47
46	20230765	SULEKHA SINGH	LAXMI NARAYAN SINGH	GEN	37
47	20230766	SUMAN AHIRWAL	HARI RAM AHIRWAL	SC	59
48	20230768	SURENDRA AHIRWAR	BABU LAL AHIRWAR	SC	49
49	20230769	UMADEVI PATEL	CHHANNU LAL PATEL	OBC	65
50	20230770	VIKAS GUPTA	NARENDRA GUPTA	GEN	52

  
 परीक्षा नियंत्रक 12/6/23  
 महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय  
 छतरपुर ( म.प्र. )

# महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

क्रमांक/अकादमिक/शोध/2023/4451

छतरपुर दिनांक 5/9/2023

प्रति

विनोद कुमार अहिरवार

आत्मज श्री हरिराम अहिरवार,

म.नं. 624, एम.पी.ई.बी. रेस्ट हाउस के पास, संत रविदास वार्ड 18, नई मकरोनिया

जिला- सागर (म.प्र.) - 470004

विषय:- वाणिज्य में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 15.08.2023

वाणिज्य शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.05.2023 के निर्णयानुसार वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आपका पंजीयन निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की तिथि अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 19.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध कार्य की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

आपका पंजीयन क्रमांक/शोध/ Ph.D./CO220141 है।

आपका नामांकन क्रमांक/Ph.D./ 22U003P0026 है।

आपके शोध विषय का शीर्षक - " सागर जिले के आर्थिक विकास में सूक्ष्म वित्त के योगदान का समीक्षात्मक मूल्यांकन " स्वीकृत किया जाता है।

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा. सागर मान्य किये जाते हैं।

पंजीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा. सागर रहेगा।

विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कण्डिका-20 के अंतर्गत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्राक्धानानुसार शोधार्थी पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्राक्धान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पुनः-पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

महिला एवं विकलांग शोधार्थियों ( जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश (240 दिवस) की पात्रता होगी।

नवीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फाइल में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा. सागर की ओर अर्पित कर निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा करें।

2. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा. सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी विनोद कुमार अहिरवार के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखने की कृपा करें।

शोध प्रमुख प्रतारी  
निर्देशक शोध एवं विकास,  
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड  
विश्वविद्यालय छतरपुर (म.प्र.)

विश्वविद्यालय छतरपुर (म.प्र.)  
वि.वि. छतरपुर

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)  
वि.वि. छतरपुर

# महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

छतरपुर दिनांक 5/9/2023

क्रमांक / अकादमिक / शोध / 2023 / 4480

ति-

नमता जैन

आत्मजा श्री नरेन्द्र कुमार जैन

फटरा बाजार नगर पालिका के पीछे, बार्ड नं. 8

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.) - 472001

वेध- वाणिज्य में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पजीयन।

नदम- आपका आवेदन दिनांक 19/08/2023

वाणिज्य शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.05.2023 के निर्णयानुसार वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आपका

पजीयन निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पजीयन कार्य चर्क शुल्क जमा करने की

तिथि अथवा एम.फिल. उत्तीर्ण छात्रों को पजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 20.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध

कार्य की गणना पजीयन दिनांक से की जावेगी।

आपका पजीयन क्रमांक / शोध / Ph.D. / CO220120 है।

आपका नामांकन क्रमांक / Ph.D. / P190701A0156 है।

आपके शोध विषय का शीर्षक - " सागर सभाग में खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास एवम् रोजगार पर प्रभाव

का विश्लेषणात्मक अध्ययन " स्वीकृत किया जाता है।

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा. सागर मान्य किये

जाते हैं।

पजीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा.

सागर रहेगा।

विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश-11 की कण्डिका-20 के

अंतर्गत छ. माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर

विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं

पजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी

पजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के

एक माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि

की जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पजीयन स्वयं निरस्त माना

जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर

पुनः-पजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य को सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं

होगी।

गहिला एवं विकलांग शोधार्थियों ( जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी।

इसके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश

(240 दिवस) की पात्रता होगी।

नवीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छ. प्रति

निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में

प्रकाशित करना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को सगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना

आवश्यक होगा।

शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ

फाइल में) सलग करना आवश्यक होगा।

शोध प्रमुख प्रभारी  
निदेशक, शोध एवं प्रकाशन  
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड  
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा. सागर की ओर अग्रोषित कर निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा करें।

2. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा. सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी नमता जैन के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारीया सकलित रखने की कृपा करें।

# महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय

क्रमांक / अकादमिक / शीघ्र / 2023 / 4415

अकादमिक सौरसिका

अकादमिक सौरसिका

सामूहिक सौरसिका - सौरसिका लखनऊ - 226001

सागर (म.प्र.) - 207022

विषय - वाणिज्य में पी.एच.डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

संख्या - आपका आवेदन दिनांक 19.08.2023

वाणिज्य शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.05.2023 के निर्णय

पंजीयन निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत तिथि अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि कार्य की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

1. आपका पंजीयन क्रमांक / शोध / Ph.D. / CO220106 है।
2. आपका नामांकन क्रमांक / Ph.D. / 22U003P0013 है।
3. आपके शोध विषय का शीर्षक - " सागर जिले में किसान क्रेडिट कार्ड प्रभाव " स्वीकृत किया जाता है।
4. शोध निर्देशक - डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. जाते हैं।
5. पंजीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - वाणिज्य सागर रहेगा।
6. विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से अंतर्गत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्र विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
7. आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध नि पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।
8. अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा एक माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के स की जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्य जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान पुन-पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में होगी।

महिला एवं विकलांग शोधार्थियों ( जो 40 प्रतिशत से अधिक विकल इसके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि (240 दिवस) की पात्रता होगी।

नवीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तु निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंत काशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में निवार्य होगा।

# महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

फोन नं. - 07682-244442  
ईमेल - mchhatrasaluniversity@gmail.com



परीक्षा नियंत्रक


क्रमांक / 2489 / परीक्षा / गोप. / 2023

छतरपुर, दिनांक 12.06.2023

## अधिसूचना

विश्वविद्यालय की सूचना क्रमांक 1576/2023, दिनांक 08-04-2023 के अनुसार 17 विषयों की शोध प्रवेश परीक्षा 2023-24 दिनांक 11-06-2023 को सम्पन्न हुई जिसका परीक्षा परिणाम आज दिनांक 12-06-2023 को कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत घोषित किया जाता है। समस्त छात्र/छात्रायें अपना परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट <http://mcbu.ac.in> के माध्यम से देख सकते हैं।

- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 1. Botany        | 11. Library Science   |
| 2. Chemistry     | 12. Mathematics       |
| 3. Commerce      | 13. Physics           |
| 4. Economics     | 14. Political Science |
| 5. English       | 15. Sanskrit          |
| 6. Geography     | 16. Sociology         |
| 7. Geology       | 17. Zoology           |
| 8. Hindi         |                       |
| 9. History       |                       |
| 10. Home Science |                       |

  
12.6.23

(डॉ. बहादुर सिंह परमार)


परीक्षा नियंत्रक

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय  
छतरपुर, दिनांक 12.06.2023  
छतरपुर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / 2490 / गोप. /

### प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

1. महामहिम, कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. माननीय कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक।
4. उपकुलसचिव गोपनीय/प्रशासनिक, महाराजा छत्रसाल वि.वि.की ओर सूचनार्थ।
5. सम्पादक महोदय, स्थानीय सभी समाचार पत्रों की ओर भेजकर निवेदन है कि विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में छात्रों के हितार्थ प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. वेब प्रभारी की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
12.6.23  
सहायक कुलसचिव  
गोपनीय विभाग, बुन्देलखण्ड  
वि.वि. छतरपुर

# Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur

## Doctoral Entrance Test-2023

Result : D.E.T. 2023 - Exam held on 11-06-2023

### Subject - Home Science

S NO	RollNo	Name		Category	Obtained Marks
1	20230471	FAINAZ	SHAKEEL KHAN	OBC	46
2	20230473	MADHURI KHANDELKAR	VIKAS KHANDELKAR	SC	65
3	20230474	MAHIMA SINGH THAKUR	VIJAY SINGH THAKUR	EWS	58
4	20230475	PAYAL CHOURASIA	RAM NATH CHOURASIA	OBC	55
5	20230476	PRAKASHINI	KRISHNA MANI TRIPATHI	GEN	50
6	20230477	PRATIBHA YADAV	NARAYAN SINGH YADAV	OBC	44
7	20230478	PREETI DAHERIYA	GOVIND RAM	SC	42
8	20230479	PREETI VERMA	GANESH PRASAD VERMA	SC	54
9	20230480	RICHA PATHAK	SANDEEP KUMAR TIWARI	EWS	41
10	20230481	SHRUTI SINGH	ARUN SINGH	ST	50
11	20230482	SONAL SONI	KASHIRAM SONI	OBC	67
12	20230483	VANDINEE JAIN	RAJBAHADUR JAIN	EWS	44
13	20230484	VINITA SINGH SENGAR	BHARAT SINGH SENGAR	EWS	38

  
 परीक्षा नियंत्रक 12/06/23  
 महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय  
 छतापुर ( म.प्र. )



# महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०)

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)

कार्यालय फोन: 07682-244442,  
फैक्स : 07682-244442,

E-mail – mchhatrasaluniversity@gmail.com

छतरपुर दिनांक 15/07/2023

कमांक 3021/2023

प्रति

श्री उदय सिंह चौहान

S/o श्री मंगल सिंह चौहान, वार्ड नं. 1, ग्राम- गौहानी  
छतरपुर (म.प्र.) – 471525

विषय- शोध विषय के संबंध में शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना।

आपको सूचित किया जाता है कि वाणिज्य संकाय के वाणिज्य विषय की शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) की बैठक दिनांक 27.05.2023 को सम्पन्न हुई। इसमें

(अ) शोध केन्द्र – वाणिज्य अध्ययनशाला एवं शोध केन्द्र, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय, सागर

(ब) शोध निर्देशक – डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय, सागर


(स) सहशोध निर्देशक – निरंक

को मान्य करते हुए दिनांक 13.07.2022 से पंजीयन की अनुशंसा की गई एवं निम्न निर्णय लिया गया-

1. आपका शोध विषय निम्न अनुमोदित किया गया- निरंक
2. प्रस्तावित शोध विषय में संशोधित कर निम्न अनुसार अनुमोदित किया गया- छतरपुर जिले की ग्राम पंचायतों का वित्तीय विश्लेषण
3. प्रस्तावित शोध विषय को अस्वीकार किया गया- निरंक
4. समिति ने अन्य निम्न निर्देश दिए- संशोधित रूपरेखा एक माह में विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करें।

पृ.कमांक 3021/2023


प्रतिलिपि:-

  
निदेशक 15/6/23

शोध एवं विकास

छतरपुर दिनांक 15/07/2023  
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

1. संबंधित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अध्ययनशाला यू.टी.डी./ प्राचार्य, संबंधित शोध केन्द्र की ओर सूचनार्थ
2. संबंधित शोध निर्देशक/सहशोध निर्देशक की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
5. संबंधित की नस्ती हेतु।

  
सहायक कुलसचिव  
अकादमिक  
महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड  
वि. वि. छतरपुर (म.प्र.)

# महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

क्रमांक/अकादमिक/शोध/2023/4942  
प्रति

छतरपुर दिनांक 18-09-23

आरती गुप्ता

पत्नी श्री जितेन्द्र गुप्ता,

लोहिया पुल ईदगाह रोड, पोडाबाग

जिला- बांदा (उ.प्र.)- 210001

विषय- गृहविज्ञान में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

संदर्भ- आपका आवेदन दिनांक 25.08.2023

गृहविज्ञान शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 03.06.2023 के निर्णयानुसार गृहविज्ञान संकाय के अंतर्गत आपका पंजीयन निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की तिथि अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 14.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध कार्य की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

1. आपका पंजीयन क्रमांक/शोध/ Ph.D./HS220101 है।
2. आपका नामांकन क्रमांक/Ph.D./ 22U010P0001 है।
3. आपके शोध विषय का शीर्षक " गर्भवती महिलाओं के पोषण ज्ञान का आकलन एवं हीमोग्लोबिन के स्तर का मूल्यांकन करना " स्वीकृत किया जाता है।
4. शोध निर्देशक- डॉ. रेनूबाला शर्मा, प्राध्यापक, गृहविज्ञान विभाग, शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महा., सागर एवं मान्य किये जाते हैं।
5. पंजीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - गृहविज्ञान विभाग, शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महा., सागर रहेगा।
6. विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कण्डिका-20 के अंतर्गत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
7. आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।
8. अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पुनः-पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
9. महिला एवं विकलांग शोधार्थियों ( जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश (240 दिवस) की पात्रता होगी।
10. नवीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फाइल में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. शोध निर्देशक- डॉ. रेनूबाला शर्मा, प्राध्यापक, गृहविज्ञान विभाग, शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महा., सागर की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा करें।

2. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, गृहविज्ञान विभाग, शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी आरती गुप्ता के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखे जायें।

निदेशक शोध एवं विकास  
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड  
विश्वविद्यालय, छतरपुर (उ.प्र.)

सहायक कुलपति (अकादमिक)

सहायक कुलपति (अकादमिक)  
वि. वि. छतरपुर (उ.प्र.)

2. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, गृहविज्ञान विभाग, शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी आरती गुप्ता के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखे जायें।



# महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

कमांक/अकादमिक/शोध/2023/4941

छतरपुर दिनांक... 18-09-23

प्रति

पुलकिता सिंह गौर  
पत्नी श्री रविशंकर गौर,  
घर नं. 419, वैशाली नगर, फेस- 4, शिवाजी वार्ड  
जिला- सागर (म.प्र.)- 470002

विषय:- गृहविज्ञान में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 25.08.2023

गृहविज्ञान शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 03.06.2023 के निर्णयानुसार गृहविज्ञान संकाय के अंतर्गत आपका पंजीयन निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की तिथि अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 14.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध कार्य की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

1. आपका पंजीयन कमांक/शोध/ Ph.D./HS220102 है।
2. आपका नामांकन कमांक/Ph.D./ 22U010P0002 है।
3. आपके शोध विषय का शीर्षक **POST COVID 19 ADULT PATIENT : EFFECT ON THEIR HEALTH AND NUTRITIONAL STATUS** स्वीकृत किया जाता है।
4. शोध निर्देशक- डॉ. रेनूबाला शर्मा, प्राध्यापक, गृहविज्ञान विभाग, शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महा., सागर एवं मान्य किये जाते हैं।
5. पंजीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - गृहविज्ञान विभाग, शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महा., सागर रहेगा।
6. विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कण्डिका-20 के अंतर्गत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
7. आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।
8. अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पुनः-पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
9. महिला एवं विकलांग शोधार्थियों ( जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश (240 दिवस) की पात्रता होगी।
10. नवीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फाइल में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. शोध निर्देशक- डॉ. रेनूबाला शर्मा, प्राध्यापक, गृहविज्ञान विभाग, शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महा., सागर की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा करें।
2. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, गृहविज्ञान विभाग, शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी पुलकिता सिंह गौर के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखने की कृपा करें।

निदेशिका/शोध/शोध/विभागाध्यक्ष  
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय  
सागर (म.प्र.)

सहायक प्राचार्य (अकादमिक)